न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **432 / 2025** अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ग्राम पंचायत गूंगा जरिये सरपंच रतनलाल कुमावत तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री ईश्वरसिंह भाटी।

-:: आदेश ::-

दिनांक : 02.02.2026

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि मौजा गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1216/103 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी की भूमि आई हुई है। उक्त विवादित आराजी की पूर्व में लट्ठा नक्शा में तरमीम सही अंकित की गई है लेकिन उक्त खसरा नम्बर की ऑन लाईन तरमीम दर्ज करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौका मुआयना किये अपनी मनमर्जी से गलत रूप से अंकित कर दी गई है। उक्त गलत तरमीम से लट्ठा नक्शा की तरमीम व ऑन लाईन तरमीम में भारी भिन्नता आ गई है। जिसे मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से मौके पर आबादी भूमि की बसावट प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर आबादी भूमि की बसावट अनुसार तरमीम दुरस्त की जाकर रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थी तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान के रूबरू मौका एवं रेकर्ड की जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। ग्राम गूंगा के खसरा नम्बर 103 में 10.00 बीघा भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर द्वारा आवंटित की जाने की गई है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 1001 पारित किया गया। उक्त आबादी भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 1216/103 की पूर्व में प्रस्तावित नक्शा तरमीम व वर्तमान तरमीम में भिन्नता है। पूर्व तरमीम अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' [illegible] तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की [illegible] उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में [illegible] तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व आबादी [illegible] बसावट अनुसार तरमीम [illegible] किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान के रूबरू मौका एवं रेकर्ड की जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
शिव

वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। ग्राम गूंगा के खसरा नम्बर 103 में 10.00 बीघा भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर द्वारा आवंटित की जाने की गई है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 1001 पारित किया गया। उक्त आबादी भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 1216/103 की पूर्व में प्रस्तावित नक्शा तरमीम व वर्तमान तरमीम में भिन्नता है। पूर्व तरमीम अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1216/103 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:35 IST
Reason: SelfAttested